

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-4703 दिनांक-21.06.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.07.2024 में मद संख्या-15 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

15. श्री सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध दो विभागों में समरूप नाम से कार्य करने के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधान के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" के दंड प्रस्ताव की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

सचिव, मंत्रिपरिषद्
गोरागंज
प्रति
प्रति



(निशीथ वर्मा)

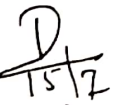
सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग



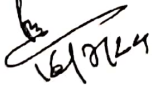


कुमार रवि





(रजेश कुमार सिंह)



50
16/07/24

50/07/24

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०-भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019

5403(अ) दिनांक 13-12-24

-: अधिसूचना :-

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना के पत्रांक-1564(21) दिनांक-09.07.2019 द्वारा श्री सुरेश राम एवं दो अन्य समरूप नामधारी प्रोन्नत सहायक अभियंताओं का कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति की जाँच के संबंध में सूचित किया गया कि श्री राम का वेतन पुर्जा निर्गत करने के क्रम में मास्टर डाटा बनाते समय उनके नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, कोटि, आदि से साम्यता वाली दो अन्य संचिकाओं का पता चला, जिसकी जाँच करने का अनुरोध किया गया।

(2) उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-6627(भ) दिनांक-19.07.2019 द्वारा श्री सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज से उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा एवं जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र यथा मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि अभिलेखों की मांग की गयी। श्री सुरेश राम द्वारा केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड विभाग में उपलब्ध कराया गया एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, नियुक्ति/सेवा संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-7354(भ) दिनांक-09.08.2019 द्वारा श्री राम का वेतन अवरोद्ध करने, मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित करने तथा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, किशनगंज को दिया गया।

(3) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, किशनगंज के पत्रांक-877 दिनांक-14.08.2019 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सुरेश राम के विरुद्ध किशनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दिया गया है, जिसका प्राथमिकी संख्या-395/2019 है। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय किशनगंज के पत्र ज्ञापक-3247/अ०प०शा० दिनांक-24.10.2019 द्वारा सूचित किया गया कि श्री राम के विरुद्ध थाना कांड संख्या-395/19 दिनांक-19.08.2019 द्वारा भा०५०वि० के धारा 419/420/467/468/471/409/120(बी०) के अन्तर्गत अनुसंधान के क्रम में सत्य पाया गया। श्री सुरेश राम द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक-04.09.2019 को आत्मसमर्पण कर दिया गया। तदोपरान्त उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

(4) उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10476(ग) दिनांक-02.12.2019 द्वारा श्री सुरेश राम को कारानिरोध की तिथि दिनांक-04.09.2019 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2)(क) के तहत अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग का कार्यालय निर्धारित किया गया। न्यायिक अभिरक्षा से बाहर आने के पश्चात् श्री सुरेश राम, सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता द्वारा दिनांक-30.11.2021 के अपराहन में अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

(5) जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1572 दिनांक-13.08.2019 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सुरेश राम एवं दो अन्य समरूप नामधारी प्रोन्नत सहायक अभियंता के जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पिता का नाम, आदि के समरूपता के क्रम में विभागीय स्तर पर गठित त्रिस्तरीय जाँच समिति द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री सुरेश राम (आई०डी० क्रमांक-18981) जल संसाधन विभाग एवं श्री सुरेश राम, जो वर्तमान में भवन निर्माण विभाग में कार्यरत है, दोनों एक ही व्यक्ति है, जो सहायक अभियंता के रूप में दो अलग-अलग विभागों में कार्यरत है। प्रथम दृष्टया यह मामला जालसाजी का प्रतीत होता है। अतएव इसकी विस्तृत जाँच विभागीय निगरानी शाखा/पुलिस अनुसंधान के माध्यम से कराया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

(6) विचाराधीन मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री सुरेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनसे विभागीय पत्रांक-8855(भ) दिनांक-05.12.2022 द्वारा बचाव अगिकथन की मांग की गयी। श्री सुरेश राम द्वारा बचाव अगिकथन न देकर

कृ०प०उ०.....
Ashish

विभागीय कार्यवाही टालने की नियत से पत्रांक-शून्य दिनांक-19.12.2022 द्वारा कतिपय अंश की मांग की गयी, फलस्वरूप उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये विभागीय संकेत संख्या-674(भ) दिनांक-27.01.2023 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संरिषत की गई।

(7) संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनापरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-510(भ) दिनांक-15.01.2024 में आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी श्री सुरेश राम से विभागीय पत्रांक-889(भ) दिनांक-25.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गई।

(8) श्री सुरेश राम के पत्रांक-शून्य दिनांक-13.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री सुरेश राम द्वारा अपने बचाव अभिकथन में प्रमाणित आरोपों के सन्दर्भ में कोई नया तथ्य या साक्ष्य न देकर पुनः कतिपय कागजात की मांग कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया फलतः उनके बचाव अभिकथन को सम्यक समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(XI) के अन्तर्गत "सेवा से बर्खास्तगी", जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहर्ता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

(9) तदालोक में विभागीय पत्रांक-2569(भ) दिनांक-19.03.2024 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-911 दिनांक-15.06.2024 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

(10) तदोपरान्त श्री सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध दो विभागों में समरूप नाम से कार्य करने के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(XI) में निहित प्रावधान के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहर्ता होगी" के दण्ड प्रस्ताव में दिनांक-12.07.2024 की बैठक में मद संख्या-15 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अतएव श्री सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित भवन निर्माण विभाग मुख्यालय - अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, दक्षिण बिहार, अंचल, पटना के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(XI) में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है-

(i) तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरहर्ता होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार)

सरकार के उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(भ) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:- महालखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)
विभाग, पटना/काषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Ashish Sh\Prarup Nigrahi

Ashish

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Ashish Sh\Prarup Nigrahi

499
500

ज्ञापांक-भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना/पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, किशनगंज/थानाध्यक्ष, किशनगंज थाना/प्रशाखा पदाधिकारी राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:-अपर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:- श्री सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित भवन निर्माण विभाग, मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, दक्षिण बिहार अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:-सरकार के अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (किशनगंज)-39/2019...5403(ग) पटना, दिनांक-18/7/24
प्रतिलिपि:-आईटीओ मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।